

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-6() जविप्रा/अआ/प/टाउन/एन.ओ.सी./०५/डी- १५११

दिनांक: ३-१२-०५

श्री नगेन्द्र चौधरी,
निदेशक,
मैसर्स पर्ट रिलायबल कन्सलटेन्सी प्रा.लि.,
77/148, अरावली मार्ग, मानसरोवर,
जयपुर ।

विषय:- निजी आवासीय टाउनशिप योजना विकसित करने की
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 2.12.05

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा ग्राम-मनोहरियावाला के खसरा नम्बर 630,631,632,650,651,662,609,610,612,613,617,618,619,620,540,602, 607,608,621,624,627,633 कुल किता 22 कुल रकबा 7.23 हैक्टेयर पर आवासीय टाउनशिप योजना के लिये प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त खसरा नम्बरों की भूमि वर्तमान में प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत अवाप्ति में विचाराधीन नहीं है, इन खसरा नम्बरों की भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में रूरल वैल्ट दर्शा रखा है। अतः आवासीय टाउनशिप योजना के लिये भू-उपयोग आवासीय उपान्तरण कराना होगा। प्रस्तावित उक्त खसरा नम्बरों की भूमि पर आवासीय टाउनशिप योजना विकसित करने के प्रयोजनार्थ क्रय करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) 30 दिवस के लिए प्रदान की जाती है।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति खातेदारान की भूमि को अन्य श्रेणी के केता को राजस्थान टिनेन्सी एकट की धारा 42 बी के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रदान नहीं किया जाता है।


जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर भूखण्डों का विक्रय किसी भी रूप में नहीं किया जा सकेगा, ऐसा करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। योजना का अनुमोदन, 90बी की कार्यवाही एवं भू रूपान्तरण के पश्चात ही नियमानुसार भूखण्ड विक्रय किये जा सकेंगे।

भवदीय,

३०.१२.०५

अतिरिक्त आयुक्त-पश्चिम

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।



प्रकरण संख्या :- 99/05 दर्ज रजिस्टर

दिनांक: ५. ११. ०५

उनवान

१. मैसर्स पर्ल रिलायबल कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट ऑफिस ७७/१४८, अरावली मार्ग,
मानसरोवर, जरिये निदेशक श्री नगेन्द्र चौधरी पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह चौधरी।

प्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ख) (3) स्पष्टित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (I) (ii) के अन्तर्गत तहसील सांगानेर के ग्राम मनोहरियावाला के खसरा नंबरान के बाबत ।

निर्णय

दिनांक १४.१२.०५

आवेदक मैसर्स पर्ल रिलायबल कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड जरिए निदेशक श्री नगेन्द्र चौधरी द्वारा रगार्ण-॥१॥ ग्रंथतुत कर निवेदन किया है कि तहसील सांगानेर के ग्राम गनोहरियावाला के खसरा नम्बरान 630, 631, 632, 650, 651, 662, 609, 610, 612, 613, 617, 618, 619, 620, 540, 602, 607, 608, 621, 624, 627, 633 कुल किता 22 कुल रकबा 7.27 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना विकसित करने हेतु भूमि का आवासीय रूपान्तरण करवाना चाहते हैं। प्रार्थी खातेदार ने समर्पणनामा के साथ क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, जमाबन्दी की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं। यह भी अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि राजस्थान मूँगे सुधार एवं भू-स्वामी की सम्पदा अर्जन अधिनियम 1963 नगरीय भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 / राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं बताया है। इस संबंध में कोई विवाद न्यायालय में लम्बित नहीं होना बताया है। खातेदार द्वारा खातेदारी अधिकार समर्पित किये हैं एवं खातेदारी अधिकारों का पर्यावरण कर भूमि के समस्त अधिकार राज्य सरकार में पुनर्गृहित करने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार में पुनर्गृहित करने का अनुरोध किया है।
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। भूमि की स्वामित्व सम्बन्धी रिपोर्ट जोन तहसीलदार से ली गई तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व सही बताया है।

श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त पूर्व के आदेश क्रमांक एफ () जि.वि.प्रा./अ.आ./गूढ़ा/ टा.उन्नीषप/ 2005 /डी-1242, दिनांक 09.8.2005 की पालना में समर्पणनामां में अंकित खसरानभ्यासन् का दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 6.12.05 को प्रकाशन कराया गया।

दानक राज्य स्तराय सनाधार पत्र दोषी का समर्पण नहीं हुई।

१५.६५८० १५ प्राप्ति अधिकारी
जोन - 11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर •

सत्य करिणीपि
तहसील नं - १
लालगढ़ जिल्हा उत्तर प्रदेश

प्राविधिक लिखित दस्तावेज़

अतः प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) (3) संपर्कित
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 63 (I) (ii) के अन्तर्गत राजस्व प्राप्ति अनुसार समर्पणनामा
स्वीकार कर निम्नांकित खातेदार की खातेदारी अधिकारों का निम्नानुसार पर्याप्त किया जाता है।

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्र फल हैक्टर	खातेदार का नाम
मनोहरियावाला त. सांगानेर	630	0.05 ✓	मैसर्स पर्ल रिलायबल कन्सलटेन्सी प्राइवेट
	631	0.35 ✓	लिमिटेड कार्पोरेट ऑफिस 77/148,
	632	0.24 ✓	अरावली मार्ग, मानसरोवर, जरिये निदेशक
	650	0.02 ✓	श्री नगेन्द्र चौधरी पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह
	651	0.56 ✓	चौधरी
	662	0.85	
	609	0.08 0.01	
	610	0.06 ✓	
	612	0.34 ✓	
	613	0.07 ✓	
	617	0.04 ✓	
	618	0.60 ✓	
	619	0.08 ✓	
	620	0.04 ✓	
	540	0.70 ✓	
	602	0.38 ✓	
	607	0.49 ✓	
	608	0.05 ✓	
	621	0.54 ✓	
	624	0.54 ✓	
	627	0.85 ✓	
	633	0.34 ✓	
	कुल योग 22	7.27 हैक्टर	

भूमि के राज्य हित में पुनर्गृहित होने के परिणाम स्वरूप राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) (6) संपर्कित जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 54 (बी) के अन्तर्गत निजी खातेदार को उसके निर्देशानुसार पुनः आवंटन प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 1.4.1.2.9. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपर्युक्त एवं प्राप्ति सुनिश्चित हो
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
उपर्युक्त विकास प्राधिकरण जयपुर।

न्यायालय
तहसीलदार सांगानेर
विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: प-6() जविप्रा/अआ/प/टाउन/एन.ओ.सी./05/डी- २०५८

दिनांक: 6-3-2006.

निदेशक श्री नगेन्द्र चौधरी पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह चौधरी
मैसर्स पर्ल रिलायबल कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिंग
कार्पोरेट ऑफिस 77/148, अरावली मार्ग,
मानसरोवर, जयपुर।

विषय:- निजी आवासीय टाउनशिप योजना विकसित करने की
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 2.3.06

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा ग्राम- मनोरियावाला के खसरा नम्बर 663,673,678,679,711,713,714 कुल किता 07 कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर पर आवासीय टाउनशिप योजना के लिये प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। उपरोक्त खसरा नम्बरों की भूमि वर्तमान में प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत अवाप्ति में विचाराधीन नहीं है, इन खसरा नम्बरों की भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में ग्रामीण दर्शा रखा है। अतः आवासीय टाउनशिप योजना के लिये भू-उपयोग आवासीय उपान्तरण कराना होगा। प्रस्तावित उक्त खसरा नम्बरों की भूमि पर आवासीय टाउनशिप योजना विकसित करने के प्रयोजनार्थ क्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) 30 दिवस के लिए प्रदान की जाती है।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति खातेदारान की भूमि को अन्य श्रेणी के केता को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 बी के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रदान नहीं किया जाता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर भूखण्डों का विक्य किसी भी रूप में नहीं किया जा सकेगा, ऐसा करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा। योजना का अनुमोदन, 90बी की कार्यवाही एवं भू रूपान्तरण के पश्चात ही नियमानुसार भूखण्ड विक्य किये जा सकेंगे।

भवदीय,

(३००६०३०६)
अतिरिक्त आयुक्त-पश्चिम

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/प्राधि./जो-11/05/डी-११-१७८५

दिनांक 29.3.06

तहसीलदार
सांगानेर, जयपुर।

विषय:- 90वीं निर्णय की पालना के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण सं. 15/06 निर्णय दिनांक 29.3.06 के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 90 ब) (3) के तहत निर्णय पारित किया है। निर्णय अनुसार नामांतकरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की खातेदारी में दर्ज करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

✓
प्राधिकृत आधिकारी
जोन-11
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विद्यास प्राधिकरण, जयपुर।
न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-११

प्रकरण संख्या : १५ / २००६

प्रार्थी नं.-पत्र अंक-४५३ दिन-१० जून १९५६ "खु" का सांगरव अधिकारी १९५६

... Duffy

दिनांक 29.3.2006

प्रकरण के तथा इस प्रकार हैं कि मेरांनी 77/118 अंशावली मार्ग मानसरोवर जरिए निर्देश करनमें सिंह चौधरी भूत्र श्री देवेन्द्र सिंह चौधरी निवारी उदयगढ़ गिलारिया द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रसरण कर निवेदन पिता हैं कि ग्राम मनोहरियावाला तहसील खांगानेर के खसरा नम्बर 678 679, 711, 713, 714, 673, 663 फिला 7 रकबा 1.79 हैक्ट. रिथित भूमि को आवासीय प्रयोगनाथे रूप सरण करवाना चाहती है। प्राप्त 1-पत्र के साथ शपेश-पत्र, क्षतिपूर्ति वंधक पत्र, समर्पणनामा, घटवार जामाबन्दी वी मुकल शामिल हैं। ८ नाटेरी से प्रमाणित है। राज्य सरकार के अभिकर्ता तहसीलदार जोन-11 से रसल भूमि के संबंध में रु. १ ली गई जो उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मनोहरियावाला तहसील खांगानेर का खांगानेर 673.३ वा 0.14 हैक्ट. 679, रकबा 0.21 हैक्ट. 711, रकबा 0.02 हैक्ट. 713, रकबा 0.06 हैक्ट. ८१८, रकबा 0.21 हैक्ट. ६८८, रकबा 0.70 हैक्ट 663, रकबा 0.45 हैक्ट. किला ८१८ रकबा 1.79 हैक्ट. ८१८ वी पर्ल रियालट्यूल कॉम्प्लेटेन्सी प्राप्ति कॉपोरेट ऑफिस 77/140 अंशावली मार्ग मानसरोवर जयपुर वी रुपांतेदारी में दर्ज है। समर्पणकर्ता खाते पार ने उपरिथित होकर अपनी दृष्टि गृहि को समाप्त करना १५ लाख फिला, उक्त समर्पणनामों के परिणाम पत्र स्थातेदारी अधिकारों की उपधारा (६) के तात्त्व उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्रबन्ध नियन्त्रण के अधिकार उत्पन्न होते हैं।

आवेदित भूमि का अनुपात तो प्रमाणण गत्र श्रीमान् अतिरिक्ता आयुक्त सभा में जयपुर विकास प्राधिक ने के आदेश कागंकः-प.-6(228)ज.वि.प्रा./वा.आ./प./साउन/एनओरी/05 ती-2048 दिनांक 6.3.2006 को जारी की गई है।

श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त पुरुष के आदेश वमांक एफ.) जि.वि.प्रा./अ.आ./भूयो. /टाउनशिप/2005/डी-1242 दिनांक 17.3.2005 की पालना में समर्पणायामाओं में अंकित खसरानंबरन का ऐनिक राज्य स्तरीय समचार एवं समाजान पत्रिका दिनांक 17.3.06 को कराया गया। समचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी कोई आपत्ति प्रसरण नहीं हुई। प्रत्राधली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर रामपंचमी रवीकार 17 या जानवर अवधि प्रतीत होता है।

अतः आदेश द्वारे जाते हैं कि ग्राम पंचायतोंका सहभीत का भार के खोरने 678,रकबा 0.21 हैक्टर, 679,रकबा 0.21 हैक्टर, 711,रकबा 0.02 हैक्टर, 712,रकबा 0.01 हैक्टर, 714,रकबा 0.21 हैक्टर 673,रकबा 0.70 हैक्टर, 663,रकबा 0.45 हैक्टर, वित्ता 7 रकबा 1.79 हैक्टर गर न पर्ल रियालबल कन्सलेटेन्सी प्रा.लि. कॉर्पोरेट ऑफिस 77 / 143 अरावली पार्ग मानसरोवर गयुर के स्थान पर जयपुर विकास प्राधिकारण के नाम खातेवारी दर्ज की जाये। निर्णय स्वामी न्यायालय में देशमंड 29.3.2009 सुनाया गया।

निर्णय की एक प्रति उपरोक्तदार संसागेर को जासूर दिकारा प्राधिकरण के नाम नापान्तकरण लें करने की भेजी जाएँ।

प्राधिकरण अधिकारी जॉन-11
जय विकास प्राधिकरण,
जयपुर।